

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2020-21 पर प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 2020-21 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-राजस्थान सरकार विधान मंडल के पटल पर दिनांक 22 सितम्बर 2022 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल की जन लेखा समिति को सौंपा गया मान लिया जाता है।

राज्य सरकार की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2020-21 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (37.64 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60.00 प्रतिशत) के भीतर रहा।

(अनुच्छेद 2.7.2)

- राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए व्यय और प्राप्तियों का नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के साथ 100 प्रतिशत अंक मिलान किया।

(अनुच्छेद 4.9)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शाये गये हैं:

राजकोषीय स्थिति

- राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों-राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और बकाया ऋण के जीएसडीपी से अनुपात के संदर्भ में देखा जाता है।
- जीएसडीपी के प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में 3.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 6.20 प्रतिशत हो गया, जो कि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।
- एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार का वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 44,001 करोड़ था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (42.37 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (38.20 प्रतिशत) से अधिक था।

(अनुच्छेद 1.5)

राज्य का वित्त

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 5,805.93 करोड़ (4.14 प्रतिशत) की कमी हुई है, तथापि राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,824.31 करोड़ (1.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जिसके कारण राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.3.2.1 एवं 2.4.2)

- पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 552.44 करोड़ (3.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.4.3.1)

बजटीय प्रबंधन

- राज्य सरकार के वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे और बजट तैयार करने और निष्पादन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए बजट पूर्व एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाने के बावजूद, बजटीय अनुमान एक स्तर तक सही नहीं थे, और बजट के निष्पादन और अनुश्रवण पर नियंत्रण अपर्याप्त था।
- वर्ष के दौरान ₹ 27,052 करोड़ (10.08 प्रतिशत) की बचत हुई और ₹ 36,253.96 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुए। आगे, वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुपूरक अनुदान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए। पिछले कई वर्षों से इन मामलों को प्रत्येक वर्ष उठाने के बावजूद राज्य सरकार इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।
- आवंटन के साथ-साथ व्यय में विचलन के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये। इस संबंध में जन लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वर्ष के दौरान अनुदानों के अंतर्गत लगातार बचतों के मामले देखे गए।

(अनुच्छेद 3.5.1)

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

- आरक्षित निधि/जमा निधि में उपकर/अधिभार की अहस्तांतरित राशि इंगित करती है कि राज्य सरकार का राजस्व/राजकोषीय घाटा अहस्तांतरित राशि की सीमा तक कम किया गया है और राज्य सरकार की ओर से बकाया देयता का प्रतिनिधित्व करता है।

(अनुच्छेद 4.1)

- विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत नहीं करना और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को प्रस्तुत नहीं करना, निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था जो कि राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र की ओर इशारा करता है।

(अनुच्छेद 4.4, 4.5 एवं 4.13)